



क्षेत्रीय कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम

पिन 9001: 2000 ब्रतजपपिमकद्ध
पंचदीप भवन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302001
टेलीफोन .0141.2221631 फैक्स.0141.2222047

ई मेल. तक.तरेंजीद/उंपसण्दपबण्पद
वेबसाइट-एमेपबतरेंजीदण्बवउ

पत्रांक: 15/डी/37/30.04.08/सीटी

दिनांक: 21.11.08

सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित निविदा बाबत

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पंचदीप भवन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय एवं आवासीय कॉलोनी में समुचित सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने हेतु एक वर्ष के अनुबन्ध के आधार पर मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। सुरक्षाकर्मी के रूप में एक सुपरवाइजर एवं लगभग 09 गार्डों की नियुक्ति की जाना प्रस्तावित है, जो कि भविष्य में आवश्यकता अनुसार बढ़ सकती है। सुरक्षा कर्मियों के रूप में केवल भूतपूर्व सैनिक ही नियुक्त किए जायेंगे, जिन्हें डीजीआर द्वारा तय की गई दरों के अनुसार वेतन भुगतान किया जायेगा। केवल वहीं पार्टियां निविदा में भाग लें जिनके पास 150 से अधिक स्टाफ हो। टेण्डर फॉर्म प्राप्त करने व अन्य जानकारी हेतु सहायक निदेशक, सामान्य शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर से कार्य दिवसों में प्रातः 10.30 बजे से 4.30 बजे, दिनांक 08.12.08 तक सम्पर्क कर सकते हैं, तथा टेण्डर फॉर्म कार्यालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। टेण्डर फॉर्म जमा करने की अन्तिम तिथि 11.12.08 सायं 3.00 बजे तक रहेगी। निविदा के साथ अर्नेस्टमनी के रूप में रुपये 20,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जयपुर के पक्ष में देय हो, संलग्न करना आवश्यक है। निविदा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 11.12.08 को ही सायं 4.00 बजे क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में खोली जावेगी। क्षेत्रीय निदेशक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बतायें किसी या सभी आवेदनों को निरस्त कर सकते हैं।

क्षेत्रीय निदेशक



क्षेत्रीय कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम

पिन 9001: 2000 बमतजपपिमकद्ध
पंचदीप भवन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302001
टेलीफोन .0141.2221631 फैक्स.0141.2222047

ई मेल. तक.तरेंजीद/उंपसण्दपबण्पद
वेबसाइट-एम्पेबतरेंजीदण्बवउ

निविदा-प्रपत्र

निविदा जमा करने की अन्तिम दिनांक
11 दिसम्बर 2008 दोपहर 3.00 बजे तक

आवेदन क्रमांक
जारी करने की दिनांक.....

सुरक्षाकर्मियों की सेवाएँ प्रदान करने के संबंध में आवेदन पत्र

1.	संस्थान के रजिस्टर्ड कार्यालय का पता टेलीफोन व फैक्स नं. सहित	
2.	संस्थान का पंजीयन क्रमांक (दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत)	
3.	प्रधान नियोक्ता का नाम तथा पूर्णपता टेलीफोन व मोबाईल नम्बर सहित	
4.	क. रा. बी. निगम का कोड नम्बर	
5.	भविष्य निधि का कोड नम्बर	
6.	आयकर पेन नम्बर	
7.	सेवाकर पंजीयन क्रमांक	
8.	संस्थान के पूर्व अनुभव के प्रमाण-पत्र	
9.	(अ) संस्थान में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों की संख्या (ब) संस्थान में कार्यरत भुतपूर्व सैनिकों की संख्या	
10.	वर्तमान में किन कार्यालयों में सुरक्षकर्मि तैनात हैं, उनके नाम व पते फोन नं. सहित	
11.	अर्नेस्ट मनी का विवरण	
12.	लोकल पुलिस में पंजीयन	
13.	अन्य जानकारी	
14.	निम्न प्रारूप अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति माह वेतन दर दर्शाये।	
	पदनाम	डी, जी. आर. रेट का पूर्ण ब्यौरा देवे
1.	सुपरवाइजर	
2.	सिक्युरिटी गार्ड	

संचालक के हस्ताक्षर.....

संचालक का नाम.....

कार्यालय की मोहर.....

सेवा शर्तें

1. सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने हेतु अनुबन्ध एक वर्ष के लिए किया जाना है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है।
2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालयों और आवासीय परिसर की सुरक्षा की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी सुरक्षा संस्थान की होगी।
3. संस्थान एक्स सर्विसमें सुरक्ष गार्ड की सेवाएं कर्मचारी राज्य बीमा निगम को देगा एवं निगम द्वारा जारी निर्देश अनुसार प्रदान करेगा।
4. नियोजित गार्ड की उम्र 55 वर्ष से अधिक न हो तथा वह भुतपूर्व सेवानिवृत्त सैनिक ही होना चाहिये।
5. यदि कोई सुरक्षा कर्मी किसी कारणवश अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो एजेन्सी उसकी जगह अन्य सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति की व्यवस्था करेगा।
6. एजेन्सी अपनी ओर से सुरक्षाकर्मियों को यूनीफार्म बैज सहित उपलब्ध करवायेगी एवं सुरक्षाकर्मी सदैव ड्यूटी पर यूनीफार्म में ही रहेंगे।
7. सुरक्षा कर्मी सदचरित्र आचरण, व्यवहारिक, योग्य एवं सुरक्षा कार्य में सक्षम हो। संस्थान/सुरक्षा एजेन्सियों को परिसर में घटित घटनाओं की रिपोर्ट तत्काल देनी होगी।
8. यदि किसी सुरक्षा कर्मी क विरुद्ध कोई शिकायत/कमी पाई जाती है तो भविष्य में उसे इस परिसर में तैनात नहीं किया जावेगा।
9. संस्थान के प्रधान नियोक्ता मूल रूप से ई. एस. आई./पी. एफ. अंशदान एवं अन्य श्रम कानून, केन्द्रीय/राज्य सरकार के दायित्व तथा अन्य अनिवार्य सरकारी दायित्व पूर्ति के लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा इस संबंध का प्रमाण-पत्र उन्हें अनुबंध एग्रीमेन्ट के समय देना होगा।
10. यदि सुरक्षा कर्मी की लापरवाही के कारण निगम को किसी प्रकार की हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति संस्थान द्वारा की जावेगी अन्यथा क्षतिपूर्ति की राशि संस्थान द्वारा प्रेषित बिल में से काट ली जावेगी।
11. निगम/ सुरक्षा एजेन्सी दो माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त/निरस्त किया जा सकता है।
12. किसी भी टेण्डर को बिना किसी कारण/सूचना के अस्वीकृत करने का अधिकार क्षेत्रीय निदेशक के पास सुरक्षित है।
13. सुरक्षा कर्मी को वेतन भुगतान संस्थान द्वारा किया जावेगा। उनको वेतन डी, जी, रिसेटलमेन्ट द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेजेज के अनुसार देय होगा। गार्ड को वेतन भुगतान [बबवनदज च्लमम बिमुनम द्वारा ही किया जावेगा।
14. ड्यूटी पर तैनात सुरक्षकर्मियों का नाम एवं ई. एस. आई. बीमा सं. और पी. एफ. संख्या समय-समय पर सूचित करना अनिवार्य है।
15. ई. एस. आई. और पी. एफ. अंशदान के भुगतान का प्रमाण-पत्र मासिक बिल के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
16. सुरक्षाकर्मियों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपरिचित, बिना पहचान के एवं संदिग्ध व्यक्ति/व्यक्तियों पर निगाह रखेगा तथा उनको किसी भी दशा में परिसर में प्रवेश नहीं होने देगा।
17. सुरक्षाकर्मी को बिना किसी संकोच एवं प्रभाव के विजिटर्स के बेग और ब्रीफकेस की जाँच करनी होगी एवं यदि आवश्यक हो तो उनको अपनी अभिरक्षा में रखवाने की व्यवस्था करनी होगी।
18. क्षेत्रीय निदेशक महोदय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना सुरक्षाकर्मी के लिए अनिवार्य होगा।
19. चयनित निविदादाता को अनुमानित अनुबन्ध राशि का 10 प्रतिशत सुरक्षा निधि के रूप में जमा करवाना अनिवार्य होगा।
20. सभी तरह के टैक्स जैसे ई. एस. आई. , पी. एफ., सर्विस टैक्स, इन्कम टैक्स आदि अन्य तरह के कर भुगतान की जिम्मेदारी निविदा प्रेषित करने वाले संस्थान की होगी।
21. कोई भी सुरक्षाकर्मी एक दिन में आठ घन्टे से अधिक ड्यूटी नहीं करेगा।

निविदा प्रतिमाह प्रति सुरक्षाकर्मी के लिए अंकित की जावे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय पदनाम
एवं मोहर